म. प्र. लोक निर्माण विभाग, द्वितीय तल संतपुड़ा भवन, भोपाल
website: www.mppwd.nic.in email: pwdbhop
Phone: 0755-2551485, Fax: 0755-2556527

69

क्रं./सा./प्र.अ./लो.नि.वि./2012/1116 भोपाल, दिनांक 24-04-2012

प्रति,

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
परिक्षेत्र.....

विषयः- कार्यो के समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने हेतु अनुबंधानुसार की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दिशा निर्देश।

कार्यपालन यंत्रियों से कार्यो की कार्यवार समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कार्यपालन यंत्रियों द्वारा कतिपय प्रकरणों में अनुबंधानुसार कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके फलस्वरूप कार्यो का संपादन निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाता है। इस संबंध में अनुबंध की शर्तो के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः-

1. कार्यो की प्रगति की सतत् समीक्षा की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्य अनुबंध में दर्शाई गई समयावधि में पूर्ण किया जाये।
2. कार्यादेश जारी करने के उपरांत कार्यपालन यंत्री ठेकेदार को निर्माण कार्य संपादित करने हेतु पत्र जारी कर लिखित में कार्य स्थल सौपे जाने की सूचना देंगे ।
3. रूपये 20 लाख तक के भवन कार्य एवं रूपये 50 लाख तक के सड़क कार्य हेतु अनुबंध के प्रावधान के अनुसार पूरे कार्य का 1/8 भाग को पूर्ण समयावधि के 1/4 भाग के पूर्व, कार्य के 3/8 भाग को पूर्ण समयावधि के 1/2 भाग के पूर्व, 3/4 भाग को पूर्ण समयावधि के 3/4 भाग के पूर्व तथा पूरा कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाये। ठेकेदार द्वारा उपरोक्तानुसार समानुपातिक प्रगति नहीं दी जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्रवाई की जाये।
4. रूपये 20 लाख से अधिक लागत के भवन कार्य एवं रूपये 50 लाख से अधिक लागत के सड़क कार्यो की प्रगति की समीक्षा हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाये।

i. कार्य का कार्यादेश जारी होने के 15 दिन की समयावधि में ठेकेदार से कार्य के संपादन हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्राप्त कर कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुमोदन किया जाये। कार्य योजना स्थल की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये पूर्ण तकनीकी दक्षता का उपयोग कर बनाई जाये। स्थल के ऐसे भाग जिसमें कार्य संपादन में कोई बाधा न हो को कार्य योजना के प्रारंभिक खण्डों में लिया जाना चाहिए तथा ऐसे हिस्से जिसमें कार्य की प्रगति किसी कारणवश (भू-अर्जन, यूटिलिटि शिफ्टींग, पेड़ काटने की अनुमति, वन विभाग से अनुमति) इत्यादि के कारण बाधित होना संभावित हो को निर्माण की कार्य योजना कार्यावधि के अंतिम खण्डों में रखा जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा इस समयावधि में कार्यपालन यंत्री से कार्ययोजना (वर्क प्रोग्राम) अनुमोदित नहीं कराया जाता है तो कार्य योजना की स्वीकृति में हुये विलंब के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। कार्ययोजना के अनुमोदन के बिना ठेकेदार को कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

ii. कार्ययोजना इस तरह तैयार कराई जाये कि पूरे कार्य का 1/8 भाग को पूर्ण समयावधि के 1/4 भाग के पूर्व, कार्य के 3/8 भाग को पूर्ण समयावधि के 1/2 भाग के पूर्व, 3/4 भाग को पूर्ण समयावधि के 3/4 भाग के पूर्व, तथा पूरा कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाये।

iii. ठेकेदार द्वारा देयक प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित ऑडिटर अनिवार्य रूप से यह टीप अंकित करेगा कि कार्य की प्रगति समानुपातिक है अथवा नहीं।

iv. यदि ठेकेदार द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भी संबंधित ऑडिटर का यह भी कर्तव्य होगा कि वह समयावधि के 1/4 भाग के पूर्व अथवा जैसी भी स्थिति हो